कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना।

सूचना

निर्देशानुसार, सूचित करना है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं इसके तालुका यथा पटनासिटी/ बाढ़/ दानापुर/ मसौढ़ी/ पालीगंज में पारा विधिक स्वयं सेवकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना संख्या– 01/2023 दिनांक– 23.03.2023 जारी की गई थी तथा जिन अभ्यार्थियों द्वारा पुर्व में आवेदन नहीं किया गया था, उनके लिए आवेदन करने की तिथी बढ़ा दी गई है। इच्छुक आवेदन करने की तिथि 01.05.2024 से अंतिम तिथि 10.05.2024 तक की गई है। इच्छुक आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता प्रमाण पत्र लगाकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अंतिम तिथि– 10.05.2024 को 1.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय में भेजे/ जमा करें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन आवेदको ने पूर्व में आवेदन किया था, उन्हे दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अपुर्ण/ अधुरे आवेदन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन का प्रपत्र सिविल कोर्ट, पटना के बेवसाईट (ecourts.gov.in/patna) से प्राप्त की जा सकती है।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
पटना।
27-04-2024

जिला विधिक सेवा प्राधिकार,पटना

अधिसूचना संख्या–01 / 2023 (दिनांक- 23/03/2023)

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है।

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

कौन आवेदन दे सकता है- पटना एवं इसके अनुमण्डल अंतर्गत ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरुष/अन्य) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्गो एवं वंचितों के उत्थान में रूचि रखते हैं या उनके लिये कार्य करना चाहते है, इनमें शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षक सहित) सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, M.S.W छात्र एवं शिक्षक, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र और विधि के छात्र (जिनका अधिवक्ता के रूप में नामाकन नहीं है), गैर– राजनीतिक, सेवा उन्मुख गैर–सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा में रूचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार पीएलवी के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझे। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक (अधिवक्ता छोड़कर) भी पुनः आवेदन दे सकते है।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य :- पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिये पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य करना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा दिया जाए।

पदों की संख्या- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के अंतर्गत अधिकतम पी०एल०वी की संख्या–100 एवं इसके प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति (पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज) में अधिकतम पी०एल०वी की संख्या–50 (कमशः) है। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना का होगा। (पटना जिला एवं इसके अनुमण्डल के अंतर्गत पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा।)

आरक्षण– क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं है। परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों (महिला, अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग आदि) को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। यह चयन एक वर्ष के लिये है।

उम्र सीमा' –न्युनतम 18 वर्ष ।

शैक्षणिक योग्यता :-पी0एल0वी साक्षर हो, अधिमानतः मैट्रिक पास, समग्र समझ की क्षमता के साथ।

मानदेय :- पी0एल0वी के कार्य का कोई वेतन नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देश के आलोक में वर्तमान में 500/- (पाँच सौ रूपया) प्रतिदिन मानदेय है जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु देय होगा। यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिये देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कांर्य करने हेतु सौंपती है या स्वयं सेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए०डी० आर० केंद्र में ले जाता है या विधिक सहायता हेतु आवेदन करने में सहायता करता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

पीएलवी का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा, जो पीएलवी के रूप में अपनी सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय को नहीं देखते हैं, लेकिन उनके पास करुणा, सहानुभूति और उत्थान के लिए चिंता के साथ-साथ समाज में जरूरतमंदों और कमजोर वर्गो की सहायता करने की मानसिकता होनी चाहिए।

पात्रता/योग्यता :- 1.आवेदक भारत का नागरिक हो 2. शारिरिक एवं मानसीक रूप से स्वस्थ हो 3. अच्छा चरित्र हो 4.समाज सेवा में रूचि रखता हो 5. किसी अपराधिक मामले का आरोपी/ दोष सिद्ध न हो ।

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाथों हाथ या पंजीकृत डाक से अंतिम तिथि- 05/04/2023 को 5.00 बजे अपराहन तक भेजें। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगाएवं अपुर्ण / अधुरे आवेदन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। **आवेदन भेजने का पता:- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, पटना, पिन- 800004**

पारा विधिक सवेको का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

नोट- आवेदक, विहित प्रपत्र सिविल कोर्ट पटना के वेबसाइट **ecourts.gov.in/patna** से डाउनलोड कर सकते है साथ ही साक्षात्कार एवं चयन से संबंधित अधिकारिक सूचना हेतु संबंधित वेबसाईट को देखते रहे। **सम्पर्क संख्या–06122677002**

23/3/2023

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना

आवेदन संख्या–

(कार्यालय उपयोग के लिए)

प्रपत्र

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

पासपोर्ट साइज़ का छायाचित्र स्वअभिप्रमाणित

1. आवेदक का नाम: (हिन्दी में) –
   (अंग्रेजी में)–
2. पिता/पति का नाम-
3. स्थायी पता (पंचायत/वार्ड/अनुमंडल सहित)-
4. वर्तमान पता (पंचायत/वार्ड/अनुमंडल सहित)-
   (संलग्न अभिप्रमाणित निवास प्रमाण की छायाप्रति)
5. शैक्षणिक योग्यता-
   (संलग्न अभिप्रमाणित शैक्षणिक प्रमाणपत्र)
6. अन्य योग्यता-
   (संलग्न अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र)
7. अनुभव (यदि कोई)
   (सलग्न अभिप्रमाणित समर्थक दस्तावेज दें)–
8. लिंग – पुरूष / महिला / अन्य (चिहिंत करे)
9. जन्म तिथि-
10. मोबाइल न.-
11. ई–मेल आई डी (यदि उपलब्ध हो) –
12. आवेदक की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग)-
13. क्या आप किसी आपराधिक मामले में आरोपी / दोष सिद्ध है ? – हॉ / नहीं
14. प्रखण्ड एवं पंचायत / वार्ड का नाम(जहॉ कार्य करने की ईच्छुक हो)–

घोषणा

मै एतद् द्वारा घोषण करता / करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए विवरण एवं तथ्य मेरी जानकारी में सत्य , पूर्ण एवं सही है। यदि आवेदन में दिए गए कोई भी विवरण / तथ्य मिथ्या पाए जाते है तो विधि के अंतर्गत उचित कार्रवाई एवं दण्ड के लिए स्वयं उतरदायी होऊंगा / होऊंगी तथा पी0एल0वी के रूप में कार्य करने पर किसी प्रकार की अयोग्यता होने पर या स्थिति / पद का दुरूपयोग करने पर पी0एल0वी के रूप में मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

स्थान-

तिथि-

आवेदक का हस्ताक्षर